

पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2011 के दीवानी रिट न्यायाधिकार मामला सं. 15737

में

2018 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 187

=====

रत्नाकर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय इंद्रकांत मिश्रा निवासी- द्वारा श्री आर.सी.पी. सिन्हा, पुनाईचक, पी. एन. बी. के पास, डाकघर-शास्त्रीनगर, पुलिस थाना-शास्त्रीनगर शहर और जिला-पटना।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. इलाहाबाद बैंक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक-2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 के माध्यम से।
2. महाप्रबंधक (एचआर), इलाहाबाद बैंक कार्मिक प्रशासनिक विभाग, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001।
3. सहायक महाप्रबंधक (एचआर), इलाहाबाद बैंक कार्मिक प्रशासनिक विभाग, 14, इंडिया एक्सचेंज, चौथी मंजिल, कोलकाता-700001।
4. मुख्य प्रबंधक (एच. आर.), इलाहाबाद बैंक कार्मिक प्रशासनिक विभाग 14, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, चौथी मंजिल, कोलकाता-700001।
5. उप महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, गया पटना रोड, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास, पटना-800001।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री के. डी. चटर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्री अजातशत्रु, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री शंभू नाथ, अधिवक्ता

: श्री विनोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

=====

अपीलकर्ता रत्नाकर मिश्रा, 1986 में इलाहाबाद बैंक में शामिल हुए और 2001 में बैंक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए। - उन्होंने

1995 के इलाहाबाद बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम के तहत पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बदले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) और ग्रेच्युटी प्राप्त की। .

2010 में, बैंकों और कर्मचारी संघों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत एक प्रस्ताव बढ़ाया गया, जिससे पूर्व कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प चुनने का एक नया अवसर मिला।

- याचिकाकर्ता ने इस नई पेशकश के तहत पेंशन योजना में शामिल होने का प्रयास किया।
- याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्त होने पर 14 वर्ष और 10 महीने की सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन पेंशन पात्रता के लिए न्यूनतम आवश्यकता 15 वर्ष थी -

गलत डेटा प्रविष्टि (जून 1986 के बजाय फरवरी 1986 की प्रारंभ तिथि दिखाते हुए) के कारण पेंशन के लिए उनका आवेदन शुरू में स्वीकार कर लिया गया था।

- बाद में, बैंक ने त्रुटि सुधारी, मिश्रा को पेंशन के लिए उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया, और उनके पेंशन लाभ रद्द कर दिए - वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने पर। अपीलकर्ता की रिट याचिका - इस एलपीए को जन्म दे रही है..

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बैंक को उसकी 14 साल और 10 महीने की सेवा को 15 साल के रूप में मानना चाहिए, छह महीने से अधिक की सेवा अवधि को पूर्ण वर्ष के रूप में मानने के बारे में विनियम 18 के प्रावधान पर भरोसा करना चाहिए। - उन्होंने दावा किया कि सेवा में कमी के बावजूद, 2010 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विकल्प का विस्तार करने के बैंक के प्रस्ताव में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि पेंशन लाभ कोई इनाम नहीं बल्कि एक निहित अधिकार है, जिसका अर्थ है कि बैंक उसे विकल्प देने के बाद कानूनी तौर पर उसकी पेंशन से इनकार नहीं कर सकता है।

प्रतिवादी बैंक ने दावा किया कि सेवा की टूटी अवधि की परवाह किए बिना, न्यूनतम 15 साल की सेवा पेंशन पात्रता के लिए एक सख्त आवश्यकता थी। - अपीलकर्ता के आवेदन की स्वीकृति डेटा प्रविष्टि में अनजाने में हुई गलती के कारण हुई थी, - और बैंक ने स्पष्ट किया था कि बाद में पाई गई किसी भी त्रुटि से पेंशन अनुमोदन रद्द हो जाएगा। - 2004 में संशोधित पेंशन नियमों ने पेंशन पात्रता के संदर्भ में 15 साल की आवश्यकता के लिए टूटी हुई अवधि की गिनती की अनुमति नहीं दी।

माना, - अपीलकर्ता ने सेवानिवृत्ति के समय सीपीएफ और ग्रेच्युटी लाभ का विकल्प चुनकर स्वेच्छा से अपने रोजगार संबंध को तोड़ दिया था। - पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 2010 की पेशकश ने उनकी सेवानिवृत्ति के समय से किसी भी समाप्त अधिकार को पुनर्जीवित नहीं किया, खासकर जब से अपीलकर्ता ने आवश्यक 15 साल की सेवा पूरी नहीं की थी। = क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम धर्मपाल सिंह के मामले में पहले ही यही दृष्टिकोण अपनाया जा चुका है, जैसा कि (2014) 13 एससीसी 484 और अध्यक्ष और एमडी, इलाहाबाद बैंक और अन्य के मामले में रिपोर्ट किया गया है। बनाम प्रेम सिंह भारत (सिविल अपील संख्या 1378/2006) का फैसला 10 मार्च 2011 को हुआ।

नतीजतन, उपरोक्त कारणों से हमें तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, जिसे खारिज कर दिया गया है।

लेटर पेटेंट अपील खारिज की जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्रीमति अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 29-04-2019

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. डी. चटर्जी और प्रतिवादी-बैंक के विद्वान वकील श्री शंभू नाथ को सुना।

2. अपीलार्थी अपनी रिट याचिका को खारिज करने से व्यथित है, जिसमें उसने इलाहाबाद बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा 22 जून, 2011 को जारी किए गए पत्र जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के साथ-साथ उससे संबंधित अन्य प्रावधानों के तहत 11 अक्टूबर, 2010 के अपने विकल्प के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के योग्य नहीं है, को रद्द करने का अनुरोध किया था। उसे जो राशि मिलनी थी, उससे उसे सूचित किया गया और दुखी होकर उसने रिट याचिका दायर की।

3. अपीलार्थी 2 जून, 1986 को इलाहाबाद बैंक में शामिल हुआ और उसने बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की, जिसे वर्ष 2000 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 31 मार्च, 2001 के प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे अपीलार्थी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में दूसरे पूरक हलफनामे के साथ अनुबंध 10 के रूप में दायर किया गया है। उक्त शपथपत्र के पैरा 5 में अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उसने 1995 के विनियमों के तहत पेंशन का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय सेवानिवृत्ति के समय लागू अंशदायी भविष्य निधि और उपदान के भुगतान को स्वीकार कर लिया।

4. विनियम 14, विनियम 18 और विनियम 28 का उल्लेख करना प्रासंगिक है क्योंकि यह अपीलार्थी के सेवा से सेवानिवृत्त होने के समय था:

“14 योग्यता सेवा -

इन विनियमों में निहित अन्य शर्तों के अधीन, एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख या जिस तारीख को वह

सेवानिवृत्त हुआ है, उस तारीख को बैंक में न्यूनतम दस साल की सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। ”

18. सेवा की टूटी हुई अवधि जो एक वर्ष से कम हो -

यदि किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि में एक वर्ष से कम की सेवा की टूटी हुई अवधि शामिल है, तो यदि ऐसी टूटी हुई अवधि छह महीने से अधिक है, तो इसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसी टूटी हुई अवधि छह महीने या उससे कम है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

28. सेवानिवृत्ति पेंशन -

सेवानिवृत्ति पेंशन एक ऐसे कर्मचारी को दी जाएगी जो सेवा विनियमों या बंदोबस्ती में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है। ”

5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता खंड का खंड 4 नीचे दिया गया है:-

“ 4. योग्यता:

सभी स्थायी कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। 15 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले हैं या 31.12.2000 को 40 वर्षों की आयु पूरी कर ली है।

अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक 15 वर्षों का यह प्रिस्क्रिप्शन अस्तित्व में था।

6. यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी अपने सेवानिवृत्ति के तारीख को 14 वर्ष एवं 10 माह पूरा कर लिया था, एवं, इसलिए वह पेंशन के योग्य नहीं थे, जिसमें न्यूनतम 15 साल की सेवा की अनिवार्यता है। फिर भी, दृढ़ कथन द्वारा अपीलार्थी ने पेंशन के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया था एवं उसने स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली।

7. परिपत्र एवं विनियम के तहत विनियमों में संशोधन किया गया, जिसमें दिनांकित 20.05.2004 को एक परंतुक द्वारा निम्नवत है: -

“बशर्ते कि इस विनियमन के प्रावधान किसी कर्मचारी को पेंशन का पात्र बनाने हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा निर्धारण हेतु लागू नहीं होंगे। ”

8. इस प्रकार, बैंक के विद्वान वकील के अनुसार सेवा में विराम की परिभाषा पेंशन के लिए सेवा के योग्य वर्षों की गणना के मामलों में लागू नहीं होती है जो न्यूनतम 15 वर्ष है।

9. हालाँकि, अपीलार्थी विवाद कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना का लाभ भी पेंशन के लाभ तक विस्तार करते हैं, उन लोगों पेंशन के लाभ हेतु पसंद किया एवं उसमें भी खंड 10(जी) शामिल है, जो निम्नवत है: -

“केवल पूर्ण किए वर्षों की सेवा की गणना न्यूनतम योग्यता सेवा को हासिल करने योग्य है। इस विषय के अधीन, सेवा का 6 माह एवं उससे ऊपर एक वर्ष के रूप में गणना की जाएगी, जिसका उद्देश्य अनुग्रह-राशि की गणना हेतु था एवं 6 माह से सेवा का अंश को अनुग्रह-राशि के गणना हेतु नजरअंदाज किया गया। ”

10. केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ बैंक संगठनों और बैंक कर्मचारी संघ और द्वपक्षी श्रमिकों के संघों और अधिकारी संगठनों के बीच एक द्विदलीय समझौते के बाद एक नया प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसने 15 सितंबर, 2010 को प्रसारित एक संयुक्त नोट का रूप ले लिया था।

11. हम सीधे खंड 1.2.1 एवं 1.2.2 के तहत उक्त परिपत्र की शर्तों पर आ सकते हैं जिन्हें यहाँ नीचे निकाला गया है: -

“ 1.2. मौजूदा पेंशन योजना (एबीईपीआर-1995 के तहत) में शामिल होने का एक अन्य विकल्प उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो:-

1.2.1 (ए) 29 सितंबर 1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और निपटान/संयुक्त नोट की तारीख को बैंक की सेवा में बने रहे;

(बी) पेंशन कोष का सदस्य बनने के प्रस्ताव की तारीख से 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में एक विकल्प का प्रयोग करें और

(सी) बैंक के भविष्य निधि न्यास को बैंक के पूरे योगदान को उस पर अर्जित ब्याज के साथ पेंशन कोष के क्रेडिट में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करें।

1.2.2 (ए) 29 सितंबर, 1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और उस तारीख के बाद और निपटान/संयुक्त नोट की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे;

(बी) प्रस्ताव की तारीख से 60 दिनों के भीतर पेंशन कोष का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में एक विकल्प का प्रयोग करें और

(सी) 60 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर धनवापसी, भविष्य निधि में बैंक के योगदान की पूरी राशि और कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ब्याज और रुपये के 30% को पूरा करने के लिए योगदान में उसके हिस्से के साथ 3115 करोड़ रुपये, (समग्र रूप से बैंकिंग उद्योग के लिए) जो कि समझौता और संयुक्त नोट के खंड (3), (4) और (5) के खंड 2 (II), 2 (III) और 2 (IV) जैसा भी वाद हो के तहत पात्र लोगों के लिए वित्त पोषण अंतर के रूप में अनुमानित और गणना की जाती है। व्यक्तिगत आधार पर, भविष्य निधि में बैंक के योगदान और उस पर ब्याज के अलावा भुगतान भविष्य निधि में बैंक के योगदान की उक्त राशि और कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ब्याज के 56% किया गया है। ”

12. अपीलार्थी का तर्क है कि यह उस विकल्प का विस्तार था जो उसकी सेवानिवृत्ति के समय मौजूद था और उसमें निहित शर्तों पर नवीनीकृत किया गया था और खंड 3.1 के अनुसार अपीलार्थी पर लागू होता था जो यहाँ नीचे निकाला गया है: -

“3. एक अन्य विकल्प की पेशकश के लिए मुख्य शर्तें:

विकल्प की पेशकश के लिए नियम और शर्तें सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए नीचे दी गई हैं:

3.1 विकल्प केवल उन मौजूदा कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एबीईवीआरएस-2000) के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त लोगों के परिवारों से स्वीकार किया जाएगा जो उपरोक्त पैराग्राफ 1 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। बैंक द्वारा 20.09.2010 और 18.11.2010 (दोनों दिन सहित) के बीच, नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दिष्ट स्थानों पर निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया गया:

ऑप्शियॉ की श्रेणियाँ	उपयोग किया जाने वाला प्रारूप	प्रस्तुत करने का स्थान
कर्मचारी जो बैंक की सेवा में हैं	‘संलग्नक-I’	शाखा/कार्यालय जहाँ तैनात किया गया हो (मुख्य कार्यालय के मामले में, अंतिम देय अनुभाग पर)
कर्मचारी जो 29.09.1995 से पहले बैंक की सेवा में थे और 27.04.2010 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे।	‘संलग्नक-I ए’	शाखा/कार्यालय जहाँ नवंबर, 2007 के महीने के लिए संशोधित 'वेतन' के 2.8 गुना के बराबर राशि को वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन से काट लिया गया है (मुख्य कार्यालय के मामले में, अंतिम देय अनुभाग पर)।
कर्मचारी जो 29.09.1995 को या उसके बाद लेकिन 27.04.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए	‘अनुलग्नक-II’	ऐसी शाखा जहाँ से अंतिम लाभ यानी पी. एफ. और ग्रेच्युटी प्राप्त हुए हैं।
उन कर्मचारियों के पात्र	‘अनुलग्नक III’	ऐसी शाखा जहाँ से अंतिम लाभ यानी

परिवार के सदस्य जो 29.09.1995 को या उसके बाद लेकिन 27.04.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए और 29.09.1995 के बाद लेकिन 27.04.2010 से पहले सेवा के दौरान मृत्यु हो गई या मर गए।		पी. एफ. और ग्रेच्युटी प्राप्त हुए हैं।
उन कर्मचारियों के योग्य परिवार के सदस्य जो 27.04.2010 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और 27.04.2010 के बाद सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी या 27.04.2010 के बाद ।	‘अनुलग्नक III ए ’	जहां नवंबर, 2007 के महीने के लिए संशोधित 'वेतन' के 2.8 गुना के बराबर राशि को वेतन संशोधन के कारण मृतक पूर्व कर्मचारी के बकाया वेतन से काट लिया गया है (मुख्य कार्यालय के मामले में, अंतिम देय अनुभाग पर) ।

13. खंड 3.8 और 3.9 भी प्रासंगिक हैं जो यहाँ नीचे निकाले गए हैं:-

“ 3.8 जो लोग निपटान/संयुक्त नोट की शर्तों का पालन करते हुए पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 27 नवंबर 2009 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तिथियों के बाद की तारीख से पेंशन मिलेगी। इन सभी इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के विनियम उन लोगों पर लागू होंगे जो निपटान/संयुक्त नोट के संदर्भ में पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, सिवाय निपटान/संयुक्त नोट के पात्रता खंडों में उल्लिखित सीमा तक ।

3.9 कर्मचारी/अधिकारी, जिन्होंने विशेष स्वैच्छिक योजना (एबीईवीआरएस-2000) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा प्रदान करना और पहले पेंशन के विकल्प का उपयोग नहीं किया या ऐसे किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति के परिवार का उपयोग नहीं किया, जिनकी मृत्यु ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 27.04.2010 के निपटान/संयुक्त नोट में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे। ”

14. इस विकल्प का ताजा प्रयोग, उन कर्मचारियों हेतु भी विस्तारित किया गया जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए थे, एवं जो उसमें योग्यता के कसौटी के अधीन थे । खंड 3.9 में स्पष्ट रूप से विकल्प है कि इसका अनुप्रयोग कर्मचारी, पदाधिकारी के वास्ते होगा जिन्होंने "न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा" के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना एवं जो उक्त परिपत्र के नियम एवं शर्तों के लिए पहले के विकल्प के अधीन थे।

15. संयुक्त टिप्पणी दिनांकित 27.04.2010 के अनुसार अपीलार्थी ने उपरोक्त परिपत्र दिनांकित 15 वीं सितम्बर, 2010 के तहत आवेदित किया था, जो इस चरण में एक तथ्यात्मक पहलू का उल्लेख कर के योग्यता का पात्र होगा। उनके द्वारा पेश किया गया आवेदन कंप्यूटर में दिए जाने के दौरान अनजाने में हुई गलती से नियुक्ति की तारीख एवं सेवा में प्रवेश की तिथि 02.06.1986 के बजाए 06.02.1986 का उल्लेख किया । अतः कम्प्यूटर डाटा में अनजाने में हुई गलती के गुण-अवगुण के कारण, अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति की तारीख एवं सेवा में भर्ती की तारीख 06.02.1986 के बजाए 02.06.1986 थी । अतः इस अनजाने में हुई गलती के गुण-दोष अनुमान 15 वर्ष की सेवा के बदले 14 वर्ष एवं 10 माह की सेवा दी थी।

16. इस विकल्प के प्रयोग के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और 1 दिसंबर, 2010 को उसे सूचित किया गया। हालाँकि, अपीलार्थी के उक्त विकल्प को स्वीकार करते समय अन्तिम पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा गया पत्र में वर्णन किया "हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि आप उपरोक्त निपटान/संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के संदर्भ में विकल्प का उपयोग करने

के योग्य नहीं हैं, तो आपके द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प शून्य माना जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।" बैंक ने अपने जवाबी हलफनामे में इस तथ्य को एक अतिरिक्त प्रकटीकरण के साथ कहा है कि यह आवश्यक था क्योंकि लगभग 4000 आवेदन प्राप्त हुए थे और उनकी बहुत कम समय के भीतर जांच की जानी थी और इसलिए त्रुटियां, यदि कोई हों, जो सुधार के अधीन थीं, जिसके लिए उपरोक्त खंड को अपीलार्थी सहित स्वीकृति के प्रत्येक पत्र में शामिल किया गया था।

17. मान लीजिए, अपीलार्थी को दिसंबर, 2010 में तदर्थ पेंशन जारी करके उक्त लाभ बढ़ाया गया था, जो उसे मई, 2011 तक प्राप्त हुआ था। हालाँकि, कंप्यूटर डेटा में उपरोक्त अनजाने में त्रुटि का पता चलने पर अपीलार्थी को 22 जून 2011 को तुरंत सूचित किया गया कि वह इस विकल्प का उपयोग करने के लिए अयोग्य था और उसे खातों की सही स्थिति के बारे में सूचित किया गया था। तदनुसार, अपीलार्थी ने उसी के विरुद्ध यह तर्क देते हुए प्रतिनिधित्व किया कि खंड 18 में निहित सेवा की टूटी हुई अवधि की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में खुलासा किया गया है कि एक टूटी हुई अवधि को समग्र रूप से गिना जाएगा, उनकी सेवा की अवधि को काल्पनिक रूप से 15 वर्ष के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि अपरिवर्तित विनियमन 18 में निहित है, जैसा कि बैंक द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए किए गए प्रस्ताव को देखते हुए उन्हें अधिकार अर्जित किए गए थे, जो उनके सेवानिवृत्त होने के समय मौजूद समान लाभों के विस्तार के रूप में था।

18. वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, अपीलार्थी ने इस अपील को उद्धृत करते हुए रिट याचिका दायर की। श्री के. डी. चटर्जी का तर्क है कि मामले में निर्धारित कानून को देखते हुए जे एस यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य में जो (2011) 6 एस. सी. सी. 570 प्रतिवेदित हुआ बाद में प्रयोग किए जाने वाले विकल्प का मौजूदा अधिकार उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ निरंतरता में है जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय मौजूद थे, जहां सेवा की टूटी हुई अवधि के अंश को सेवा का पूरा वर्ष माना जाना था और इसलिए 14 साल और 10 महीने की अवधि को 15 साल की सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। उनके अनुसार बैंक ने स्पष्ट रूप से पेंशन लाभों का विस्तार करने का इरादा किया था और अपीलार्थी ने अपने विकल्प का उपयोग किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं थी। तथापि, श्री चटर्जी उस तथ्यात्मक आधार पर विवाद नहीं कर सके जिसे अपीलार्थी को तथ्यात्मक आधार पर विवादित नहीं था, जिसे अपीलार्थी की अयोग्यता के आधार पर पेंशन के लाभों को प्राप्त किया, यानि कंप्यूटर डाटा में गलत प्रविष्टि करने हेतु।

19. तथापि, श्री चटर्जी ने कानूनों के अनुरूपता के प्रभाव के आधार पर यह तर्क देने के लिए एक सादृश्य बनाने की कोशिश की कि यदि विनियमन 18 में 20 मई, 2004 को संशोधन किया जाता है और सेवा के अर्हता वर्ष कम से कम 15 वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, तो उक्त प्रिस्क्रिप्शन अपीलार्थी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि उसने उक्त प्रिस्क्रिप्शन को चुनौती दी हो जो बाद में आया था और अन्य कर्मचारियों पर संभावित रूप से लागू होगा। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के मामले में उसका आवेदन अन्यथा 14 वर्ष और 10 महीने की सेवा पूरी करने के बाद भी अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि जो अधिकार अपीलार्थी में निहित थे और जिन्हें वर्ष 2010 में प्रयोग करने के लिए विस्तारित किया गया था, वे हस्तक्षेप करने वाले परिपत्रों द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं होंगे और इसलिए, बैंक ने अपीलार्थी की अयोग्यता के आधार पर गलती से लाभ वापस ले लिया था। उन्होंने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए और यह तर्क देने के लिए कि इस तरह के लाभों से इनकार करना प्रतिवादी-बैंक की अपनी योजना के विपरीत है और अन्यथा शक्ति का प्रयोग है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की जांच हेतु आधार नहीं हो सकता है। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि विवादित निर्णय एवं बैंक द्वारा विवादित संसूचन, दोनों को दरकिनार कर दिया, उनके पेंशन के लाभों के साथ पुनः-स्थापित करते हुए।

20. उक्त दलीलों का जवाब देते हुए, बैंक के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि सेवा में विराम से संबंधित खंड पेंशन लाभों से संबंधित नहीं है जो अन्यथा पेंशन के अनुदान के लिए भी लागू नहीं होगा, जहां सेवा के न्यूनतम योग्यता वर्ष 15 वर्ष थे, तब भी जब याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया था। सेवा खंड में विराम एक अलग उद्देश्य के लिए था और लागू नहीं था। हालाँकि, उनका तर्क है कि यह तर्क देते हुए भी कि उक्त कल्पना उपलब्ध थी, 2004 में संशोधन के कारण वर्ष 2010 में जब नया विकल्प दिया गया था, उस तारीख को इसका अस्तित्व नहीं था। विकल्प को कंप्यूटर डेटा में एक अनजाने में हुई गलती के आधार पर स्वीकार किया गया था जहां सेवा में अपीलार्थी के प्रवेश की तारीख गलत तरीके से 06.02.1986 के रूप में दर्ज की गई थी जिसे 02.06.1986 होना चाहिए था जो अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि कोई निहित अधिकार नहीं था और पूर्वव्यापीता का सवाल नहीं उठता है क्योंकि वर्ष 2010 में विस्तार शब्द का उल्लेख करके दिए गए विकल्प का मतलब समाप्त अधिकारों का विस्तार नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि मध्यवर्ती संशोधनों के आधार पर सेवा के न्यूनतम योग्यता वर्षों के बारे में कोई भी भ्रम जो हटा दिया गया है

और जब तक कि कोई व्यक्ति 15 वर्षों की सेवा को पूर्ण किया था, तब तक वह पेंशन के ऐसे किसी भी लाभ के योग्य नहीं था ।

21. संभावित निरसन के प्रश्न पर तर्क का यह तर्क देते हुए प्रतिवाद किया गया है कि यह वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के संबंध में है न कि प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से दिए गए सेवा लाभों के मामलों में।

22. प्रत्युत्तर में, श्री चटर्जी प्रस्तुत करते हैं कि पेंशन लाभ कोई इनाम नहीं हैं और इसलिए, उनसे संबंधित किसी भी प्रावधान को सख्ती से विनियमन का एक लाभकारी हिस्सा माना जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के मामले में इसे अस्वीकार करने का बैंक का प्रयास अधिकार का अनुचित प्रयोग है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा भरोसा किया गया और रिट कोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामे के साथ दायर किया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

23. हमने उठाए गए निवेदनों पर विचार किया है और हमने पाया है कि अपीलार्थी ने 14 साल और 10 महीने की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन के लिए किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की। अतः ये गर्मजोशी से हाथ मिलाना था एवं सभी अधिकारों एवं उत्तर-दायित्व को भविष्य में हटा दिया गया एवं इस प्रकार का कोई मौजूदा अधिकार का प्रयोग या निहित अधिकार का दावा नहीं था । वास्तव में, विकल्प का अधिकार 2000 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत प्रदान किया गया था एवं पेंशन प्राप्त करने का अधिकार का प्रयोग था । ऐसे पूर्ण हुए किसी अनुबंध के अनुपस्थिति में, न तो किसी भी विकल्प को प्रदान करना को स्वीकार नहीं किया गया, एवं न ही उसने संशोधनों की कभी चुनौती दी जिसे प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए एवं पेंशन प्रदत्त करने हेतु योग्यता हेतु न्यूनतम 15 वर्षों की सेवाएँ होना था ।

24. यह तर्क कि वर्ष 2010 में दिए गए प्रस्ताव को चुनौती देना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह पहले के सभी सेवा लाभों और इसके नियमों और शर्तों का विस्तार था, इस सरल कारण से अस्वीकार्य है कि विकल्प के उक्त अभ्यास को भविष्य के किसी भी प्रस्ताव पर आकस्मिक बनाते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। वर्ष 2010 के परिपत्र में प्रयुक्त विस्तार शब्द केवल उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में एक नया प्रस्ताव है जिन्होंने द्वितीय समझौते और इस संबंध में जारी संयुक्त नोट के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया था। उक्त संयुक्त नोट में स्पष्ट रूप से इन शब्दों का उपयोग किया गया है कि लाभ ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और कम से कम 15 साल की सेवा पूरी करने के पात्र थे। इस शर्त को भी चुनौती नहीं दी

गई है, बल्कि यह तर्क दिया जा रहा है कि इसका अर्थ उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने 14 साल और 10 महीने की सेवा पूरी कर ली थी। वर्ष 2010 के नए परिपत्र में कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एक कल्पना केवल एक मौजूदा स्थिति को दर्शाती है जो अन्यथा वास्तविकता में मौजूद नहीं है। वर्ष 2010 के परिपत्र में ऐसी किसी भी कल्पना का अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए, अपीलार्थी की ओर से तर्क अस्वीकृति के योग्य है।

25. इसके अलावा पेंशन के अनुदान के लिए सेवा के न्यूनतम वर्षों को एक निर्णय में अंतिम माना गया है जिस पर बैंक के विद्वान वकील ने **क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य बनाम. धरम पाल सिंह** ने 24 फरवरी, 2011 को निर्णय लिया जिसे (2014) 13 एस. सी. सी. 484 में प्रतिवेदित किया गया था एवं अध्यक्ष और एम. डी. के मामले में, इलाहाबाद बैंक और अन्य बनाम. प्रेम सिंह इंदा (2006 की सिविल अपील संख्या 1378) ने 10 मार्च, 2011 को निर्णय लिया ।

26. नतीजतन, पूर्वगामी कारणों से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे एतद द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

विकास/-

(अंजना मिश्रा, न्यायाधीश)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।